क्रम-संख्या--297

रजि॰ नं॰ एल॰ डब्लू॰/एन॰ पी॰ 893

लाइसेन्स नं॰ डब्लू॰ पी॰--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 1997

श्रावण 9, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1087/सत्रह-वि-1-1 (क) 12/1997

लखनऊ, 31 जुलाई, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात् :--

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या;

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव-कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(घघ) "श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;"

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :--

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण ह्रास;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:--

"(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा :--

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए;

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :--

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात ।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "पिछड़े वर्ग" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की" रख दिये जायेंगे ।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी ।

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा ।"

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी । धारा 4 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-- धारा 5 का प्रतिस्थापन

"अपवाद 5--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती,--

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1997

6--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव ।

No. 1087(2)/XVII-V-1—1 (KA)12-1997
Dated Lucknow, July 31, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhutpurva Sainikon ke Liye Aarakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 1997.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. Act no. 6 of 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 9, 1997.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* clause (*a*), the following clauses shall be *substituted* namely :—

"(*a*) "blindness" refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely :—

(*i*) total absence of sight; or

(*ii*) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

(*iii*) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;

(*aa*) "cerebral palsy" means a group of non-progressive conditions of a person characterised by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development ;"

(*b*) *after* clause (*d*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*dd*) "hearing impairment" means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies;

(*ddd*) "locomotor disability" means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy;

(*dddd*) "low vision" refers to a condition where a person suffers from impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device ;"

(*c*) *for* clause (*e*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*e*) "Physically handicapped" means a person who suffers from :—

(*i*) blindness or low vision ;

(*ii*) hearing impairment ;

(*iii*) locomotor disability or cerebral palsy ;"

(*d*) *for* clause (*f*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*f*) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 shall have the meaning assigned to them in that Act."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) There shall be reserved at the stage of direct recruitment,—

(*i*) in public services and post two per cent of vacancies for dependents of freedom fighters and one per cent of vacancies for ex-servicemen;

(*ii*) in such public services and posts as the State Government may, by notification, identify one per cent of vacancies each for the persons suffering from,—

(*a*) blindness or low vision ;

(*b*) hearing impairment ; and

(*c*) locomotor disability or cerebral palsy."

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted*;

(*c*) in sub-section (3) *for* the words "Backward Classes", the words "other backward classes of citizens" shall be *substituted*;

(*d*) sub-section (4) shall be *omitted*.

(*e*) *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(5) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled it shall be carried over to the next recruitment."

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, sub-section (2) shall be *omitted*.

Substitution of section 5

5. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"5. (1) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1997 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

Savings

Explanation—For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of,—

(*i*) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be has started, or

(*ii*) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974."

Repeal and savings

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 8 of 1997

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 108 सा० विधा०—(857)—1997—850 (मेक०)